



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



17 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 251 राँची, मंगलवार,

7 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

22 अप्रैल, 2024

संख्या-3/आरोप(विविध)-13-3/2024 का० 2848--श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० की सांविदिक अवधि की समाप्ति के फलस्वरूप पत्रांक-130 दिनांक-03.02.2024 के द्वारा झा०प्र०से० के कुल 07 पदाधिकारियों के विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख/संचिका विभाग को वापस कर दिया गया है। तदनुसार श्री सिंह से प्राप्त निम्नवत् 07 (सात) विभागीय कार्यवाही अभिलेखों/संचिकाओं को श्री कमल जॉन लकड़ा को अंतरित करते हुए इन मामलों में उन्हें संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र०	विभागीय संकल्प सं०	आरोपी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1.	3165/01.06.2023	श्री रविन्द्र कुमार सिंह सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(को०क्र०-618/03), तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा। (अभिलेख सं०-30/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं०-3 पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं०-522)
2.	24328(HRMS)/27.09.2023	श्री जयदीप तिग्गा, झा०प्र०से० (को०क्र०-861/03), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। (अभिलेख सं०-47/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं०-2, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं०-81)
3.	4603/10.08.2023	श्री रविशंकर सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (को०क्र०-540/03), तत्कालीन संयुक्त सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची। (अभिलेख सं०-45/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं०-3, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं०-135)
4.	24943(HRMS)/10.11.2023	श्री लखी राम बास्के, झा०प्र०से०(को०क्र०-61/20), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी-03, मानगो शिविर, आदित्यपुर सम्प्रति-उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची । (अभिलेख सं०-51/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं०-2, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं०-84)
5.	25149(HRMS)/29.11.2023	श्री जितेन्द्र कुमार देव, झा०प्र०से०(को०क्र०-808/03), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ । (अभिलेख सं०-52/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं०-2, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं०-389)
6.	4852/25.08.2023	श्री मुकुन्द दास, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(को०क्र०-594/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुमला। (अभिलेख सं०-48/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं०-2, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं०- 231)
7.	12401(HRMS)/09.12.2020	श्री संदीप बक्सी, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 748/03)। (न्यायालय के आदेश से लंबित)। (अभिलेख सं०-08/2021, आदेश फलक, पृष्ठों की सं०-10, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं०-95)

2- प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री कमल जॉन लकड़ा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्द्र दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
